न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-200RAAJodhpur2023-86RTA225 Urjaram ors Vs Hukamsingh etc

01. उर्जाराम पुत्र मांगीलाल
02. सांवलराम पुत्र मांगीलाल
03. ओमाराम पुत्र मांगीलाल
04. सुआदेवी पत्नी मांगीलाल

सभी जातियान् राईका, निवासीगण- ग्राम चैराई, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. हुक्मसिंह पुत्र हेमसिंह
2. निम्बुसिंह पुत्र हेमसिंह
3. बाबुसिंह पुत्र हेमसिंह
4. चैनसिंह पुत्र हेमसिंह
5. कानसिंह पुत्र हेमसिंह
   सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम बड़ा बास, चैराई, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 27 जनवरी 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 246/2019 हुक्मसिंह व अन्य बनाम उर्जाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से पांच

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या छः

<u>नि र्ण य</u>

दिनांक : 04 दिसंबर 2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 246/2019 हुक्मसिंह व अन्य बनाम उर्जाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 जनवरी 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 05 जून 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 2728 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं. 2729 रकबा 31.02 बीघा, खसरा नं. 2731 रकबा 22.18 बीघा ग्राम बड़ाबास चैराई तहसील तिंवरी में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 2717 रकबा 21. 17 बीघा में सें प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए से बी 12 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 जनवरी 2021 के जरिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स के नोटिस तामील होने के पश्चात अपीलार्थीगण द्वारा अपना अधिवक्ता नियुक्त किया गया था, जिनके

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा समय पर वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण अपीलार्थीगण अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रख नहीं सके। अधिवक्ता की गलती के कारण अपीलार्थीगण को नुकसान नहीं किया जा सकता है, इसलिए अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं मिल सका, इस कारण आलौच्य आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार मौके पर पहले से ही रास्ता मौजूद था, इसलिए नये रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है, जो रास्ते की मांग की गई है, वह अधिनियम के प्रावधानों की मंशा के विपरीत की गई है जो अपास्त किये जाने योग्य है। मौका रिपोर्ट अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में व नियमानुसार तैयार नहीं की गई जो प्रथमदृष्टया ही माने जाने योग्य नहीं है तथा मौका रिपोर्ट सक्षम अधिकारी के द्वारा भी तैयार नहीं की गई होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। मौका रिपोर्ट को देखने से प्रथमदृष्टया ही प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थीगण अत्यधिक लंबा व अपीलार्थीगण की असुविधा के अनुसार रास्ते का आदेश दिया गया है। अपीलार्थीगण के मध्य से रास्ता दिया जाने के कारण अपीलार्थीगण का खेत दो भागों में विभक्त हो गया है, क्योंकि अपीलार्थीगण का खेत खसरा नं. 2721, 2720 एवं 2717 मौके पर एक ही चक के रूप में है। मौका रिपोर्ट अनुसार तीनों खसरों की एक साथ तारबंदी एवं पत्थरो की दीवार बनी हुई है।, इसलिए खसरा संख्या 2721 व 2720 के किनारे से यदि रास्ता दिया जाता है तो वह लघुतम एवं सुविधाजनक होगा। इस कारण भी आलौच्य आदेश अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में दिये गये रास्ते का खुलासा नहीं किया है तथा रास्ता भी पूर्ण रूप से नहीं दिये जाने के कारण माने जाने योग्य नहीं है तथा न ही रास्ते की लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया गया है, इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स पर सम्मनों की तामील होने पर उनकी ओर से अधिवक्ता मुकर्रर किया गया, किंतु अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश ही नही किया गया। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से अपीलांट्स को समय पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। हाल ही में पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन की बात कहने पर आलौच्य आदेश के बारे में जानकारी हुई, जिस पर दिनांक 02.06.2023 को नकल हेतु आवेदन किया जो उसी दिन नकल मिलने पर पढने से प्रथम बार अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 जनवरी 2021 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा मामले में चाराजोही नहीं की गई, जिस कारण विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक रूप से तामील करवाये जाने पर अपीलांट्स द्वारा श्री पेपसिंह भाटी को अपना अधिवक्ता मुकर्रर किया गया, जिनके द्वारा अपीलांट की ओर से दिनांक 0809.2020 को अंडर टेकिंग दिया जाना पाया जाता है। तत्पश्चात अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश नही किये जाने तथा न ही उनकी ओर से पैरवी किये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2021 को अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं होना लाजमी है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम में वर्णित तथ्यों पर विश्वास जाहिर करते हुए अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अदंर म्यार शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 17.09.2020 के अवलोकन मुताबिक उक्त मौका फर्द अपीलांट्स की अनुपस्थिति में तैयार किया जाना पाया जाता है। मौका फर्द में अपीलांट्स की भूमि खसरा नं. 2717, 2721 एवं 2720 को मौके पर एक चक में होकर चारों ओर पत्थर रोपकर तारबंदी से आबद्ध होना बताया गया है तथा वांछित रास्ते के बिंदु ए से बी के स्थान पर माठ नहीं होना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन रास्ते से अपीलांट्स की भूमि को दो असमान भागो में विभक्त हो जाती है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम् 1955 की धारा 251-ए की मंशा के विपरीत है।

यह भी उल्लेखनीय है कि मौका फर्द में रेस्पोडेंट का वर्तमान में अन्य खातेदारान् की खातेदारी भूमि में सें आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध होना बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द में मौके पर उपलब्ध सभी रास्ते के विकल्पों की जांच किये बिना केवल वांछित रास्ते क विकल्प की ही जांच किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्तो की जांच किये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किये जाने से अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 246/2019 हुक्मसिंह व अन्य बनाम उर्जाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 जनवरी 2021 को अपास्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पो की मय दूरी उभय पक्ष की उपस्थिति में नियमानुसार मौका रिपोर्ट तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र का विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोइ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर